फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामकली बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0–40 / 2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1391 एवं 1392 वाके रामा बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जो कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2025 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी कार्यवाही करवाना चाहते है। बिना पत्थरगढी के प्रार्थीगण की भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट होने का खतरा बना रहता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.ए. स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किए जावे। हमने प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस का मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा से प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपने जवाब में प्रकरण के पैरा संख्या 1 लगायत 6 को स्वीकार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 25.05.2025 को किया जा चुका है। इसलिए अ0धा0 128 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थीया अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है ताकि किसी भी प्रकार के सीमाचिन्ह विवाद से बचा जा सके। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 1391, 1392 वाके रामा बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है तहसीलदार उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	